प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 29.07.2025

थाना कविनगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 14.07.2025 को वादी महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 शिव चरण सिंह उम्र 46 वर्ष निवासी म0न0 161 इन्द्रागढी, हापुड रोड गाजियाबाद तथा दिनांक 16.07.2025 को वादी श्री विरेन्द्र गिरी पुत्र श्री सीताराम गिरी निवासी महेश ई कॉलोनी छपरौला थाना बादलपुर गौतमबुद्ध नगर ने अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मोटर साइकिल चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण:-

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 29.07.25 को अभियुक्त 1. अरूण कुमार 2. हर्ष को स्वदेशी कंपाउन्ड सर्विस रोड पर गेट नंबर 3 के पास चौकी क्षेत्र कविनगर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो दोनो अभियुक्तों ने एक स्वर में बताया कि यह दोनों मोटरसाईकिलें चोरी की हैं एक मोटर साइकिल हम दोनों ने मिलकर कविनगर इण्डस्ट्रियल एरिया से चुराई थी तथा दूसरा मोटरसाईकिल कलाधाम पार्क के पास कविनगर से चोरी की थी। आज हम इन मोटरसाईकिलों को कही बेचने जा रहे थे।

अभियुक्त का नाम पता-

1. अरूण कुमार पुत्र हरेन्द्र चौधरी निवासी मकान नं0 383 खारा कुआं रजापुर शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।
2. हर्ष पुत्र आदेश कौशिक निवासी मकान नं0 336 खारा कुआं रजापुर शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष।

बरामदगी-

चोरी की 02 मोटर साइकिल।

आपराधिक इतिहास-

1. अरूण कुमार पुत्र हरेन्द्र चौधरी

- कमि0 गाजियाबाद में चोरी के 3 मुकदमें व धोखाधड़ी का 1 मुकदमा
- बुलन्दशहर में दहेज का एक मुकदमा

2. हर्ष पुत्र आदेश कौशिक

गाजियाबाद में चोरी के दो मुकदमें

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

थाना कविनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 09 शातिर अपराधियो के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री जे0 रविंदर गौड व श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री धवल जायसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में अपराध नियंत्रण हेतु 09 शातिर अपराधियो के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है।

क0सं0	अपराधी का नाम	थाना
1	सत्यप्रकाश पुत्र राममूर्ति नि0 कृष्णानगर मेरठ रोड थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 32 वर्ष	नन्दग्राम
2	कुलदीप त्यागी उर्फ मिन्टू त्यागी पुत्र मूलचन्द त्यागी नि0 म0नं0 360 सददीकनगर सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद। उम्र 30 वर्ष	नन्दग्राम
3	राजदीप त्यागी पुत्र दयानन्द नि0 एम0बी0 इन्टर कॉलेज के पास सददकीनगर सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद। उम्र 32 वर्ष	नन्दग्राम
4	अंकित उर्फ अभिषेक उर्फ बेकर पुत्र दिलीप नि0 647 ई नन्दग्राम थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 25 वर्ष	नन्दग्राम
5	नवल किशोर उर्फ कमल उर्फ कोमल पुत्र रणजीत सिंह नि0 डी-3/886 गली नं0 02, बोम्बे कालोनी थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 27 वर्ष	नन्दग्राम
6	रवि शर्मा उर्फ कोटला पुत्र दिनेश शर्मा नि0 सददीकनगर सिहानी थााना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 33 वर्ष	नन्दग्राम
7	मोनू चौधरी उर्फ हाण्डा उर्फ अमरवीर जाट पुत्र विरेन्द्र सिंह नि0 ग्राम दुहाई थाना मधुबन बापूधाम, गाजियाबाद। उम्र 31 वर्ष	मधुबन बपूधाम
8	संजू पुत्र राजकुमार नि0 215 रविदास मन्दिर के पास मौहल्ला शिब्बनपुरा थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद। उम्र 35 वर्ष	सिहानी गेट
9	निखिल शर्मा पुत्र नन्दकिशोर शर्मा नि0 लाल क्वार्टर लोहियानगर थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद। उम्र 30 वर्ष	सिहानीगेट

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.07.2025 को वादी द्वारा थाना भोजपुर पर तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला – फुसलाकर कहीं ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को बरामद

किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीड़िता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त प्रदीप पुत्र कुलदीप निवासी तगा सराय गेट इन्द्रगढी मोहल्ला थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ उम्र करीब 20 वर्ष का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 64 बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 29.07.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रदीप पुत्र कुलदीप निवासी तगा सराय गेट इन्द्रगढी मोहल्ला थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ उम्र करीब 20 वर्ष को भोजपुर बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों की पहले से बातचीत थी और एक दिन मैं वादी की पुत्री को बाहर घुमाने ले गया था और मौका पाकर मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

प्रदीप पुत्र कुलदीप निवासी तगा सराय गेट इन्द्रगढी मोहल्ला थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम –

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा प्रार्थी की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाने का सम्बन्ध मे। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा- 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त विशेष माथुर पुत्र मुदगल निवासी 435 गली नम्बर 10 मुकुन्दपुर दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 316(2)/64 बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

दिनांक 28.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विशेष माथुर पुत्र मुदगल निवासी 435 गली नम्बर 10 मुकुन्दपुर दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया है तथा बताया कि वह लालबाग बस स्टेंण्ड दिल्ली में मेरी उससे मुलाकात हुई थी उसी समय से हमारी बातचीत शुरु हो गई थी । मैंने पीड़िता को बहला फुसलाकर बाहर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विशेष माथुर पुत्र मुदगल निवासी 435 गली नम्बर 10 मुकुन्दपुर दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा मारपीट कर शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28.07.2025 की रात्रि में थाना मसूरी क्षेत्र ग्राम भूडगढी में दो पक्षों द्वारा आपस में झगड़ा कर शान्ति व्यस्था भंग की गई जिस सम्बंध में चौकी प्रभारी जेल उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार द्वारा दोनों पक्षों के प्रथम पक्ष 1.जिसान पुत्र मो0 अली 2.नवाबुद्दीन उर्फ नब्बू पुत्र हाज़रखा 3.साहिब पुत्र नब्बू 4.फरमान पुत्र नब्बू 5.इमरान पुट कलवा निवासीगण ग्राम भूड़गढ़ी व 3, 4 व्यक्ति अज्ञात, द्वितीय पक्ष 1.दिल्लू पुत्र नियाज़ू 2.जुल्फिकार पुत्र नियाज़ु 3.कालू पुत्र जमील 4.रहीसू उर्फ चीलू पुत्र जमील 5.सिराजुद्दीन पुत्र नजीर 6.जुबेर पुत्र चुन्ना निवासीगण ग्राम भूड़गढ़ी थाना मसूरी गाजियाबाद व 3,4 व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध थाना मसूरी पर धारा 191(2)/191(3)/125/115(2)/352/351(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कराया गया। घटना में संलिप्त 05 अभियुक्तगण 1.जीशान पुत्र मौ0 अली 2.नवाबुद्दीन उर्फ नब्बू पुत्र हाज़रखा 3.साहिब पुत्र नब्बू 4.दिल्लू पुत्र नियाज़ू 5.कालू पुत्र जमील निवासी गण भूडगढी थाना मसूरी गाजियाबाद को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान दोनों पक्षों के अभियुक्तगण ने बताया कि हमारा गाली-गलौज को लेकर आपस में विवाद हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.जीशान पुत्र मो0 अली निवासी भूडगढी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र 45 वर्ष

2.नवाबुद्दीन उर्फ नब्बू पुत्र हाज़रखा निवासी भूडगढी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र 44 वर्ष

3.साहिब पुत्र नब्बू निवासी भूडगढी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र 18 वर्ष

4.दिल्लू पुत्र नियाज़ू निवासी भूडगढी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र 32 वर्ष

5.कालू पुत्र जमील निवासी भूडगढी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.05.2025 को वादिया द्वारा थाना भोजपुर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण विपिन, निखिल, मनी, शिवम, दीपक व राजा समस्त निवासी गण ग्राम मुकीमपुर थाना भोजपुर द्वारा एक राय होकर हाथों में लाठी डण्डे व तमन्चा लेकर बदतमीजी करते हुए हमला करना व मारपीट करना एवं अभियुक्त विपिन द्वारा जान से मारने की नीयत से गोली चलाना जिससे वादिया पक्ष के कई लोगों के चोट आना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल धारा-191(2)/191(3)/190/131/115(2)/109(1)/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 109(1) बीएनएस का विलोपन किया गया तथा अभियुक्तगण की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 29.07.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विपिन पुत्र सतवीर निवासी ग्राम मुकीमपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को अबलपुर बम्बा रोड से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से अवैध तमन्चा बरामद हुआ। अभियुक्त के हवाले से बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि दि0 05/05/2025 को जब मेरे दोस्त (राजा, निखिल शिवम, मनी, दीपक) वादिया के पति के साथ लड़ रहे थे तब मैने इसी तमंचे से हवाई फायर किया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विपिन पुत्र सतवीर निवासी ग्राम मुकीमपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम –

थाना भोजपुर पुलिस टीम